राजस्थान –सरकार

निदेशालय चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाये,राजस्थान जयपुर

क्रमांक / नर्सिंग / सामान्य / 2019 / दिनांकः–

परिपत्र

प्रायः देखने मे आया है कि अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा उनके अधीन पदस्थापित नर्स ग्रेड–प्रथम / नर्स–2 / फार्मासिस्ट / एएनएम के द्वारा 9 / 18 / 27 वर्षीय एसीपी पूर्ण करने पर उनके द्वारा कार्मिकों के एसीपी स्वीकृती हेतु प्रस्ताव प्रेषित किये जाते है, जिनमे कई प्रकार की कमियां पाये जाने के कारण अनावश्यक पत्राचार करना पड़ता है अतः निम्नानुसार प्रकरण जांच एवं परीक्षण उपरांत ही प्रेषित किये जावें:–

1. कार्मिक की जन्म तिथि / नाम (नियुक्ति आदेश / अंकतालिका) के अनुसार।
2 कार्मिक की प्रथम कार्यग्रहण तिथि (सेवा पुस्तिका) के अनुसार।
3. कार्मिक को देय (पे लेवल / वेतन श्रृखंला) स्पष्ट अंकित करें।
4. कार्मिक की विभागीय जांच की सूचना।
5 7 वर्ष की एसीआर संतोषप्रद होने का प्रमाण पत्र।
6 संतान संबधी शपथ पत्र निधारित बॉण्ड पर।
7. उक्त प्रस्ताव संबधित कार्यालय के सहायक लेखाधिकारी / लेखाधिकारी द्वारा प्रमाणित।
8. कार्मिक को पदौन्नति मे पै–प्रोटेक्शन का लाभ दिया गया हो तो नियुक्ति आदेश प्रति संलग्न करें। साथ ही निर्धारित प्रारूप मे अंकित करे।
9. दिनांक 01.01.16 के पश्चात देय एसीपी प्रकरणों मे ग्रेड–पे के प्रस्ताव के लिये कार्मिक का विकल्प पत्र का आंकलन प्रारूप में करें।

उपरोक्तानुसार समस्त बिन्दुओं की सूचना पूर्ण रूप से तैयार करने के उपरान्त ही एसीपी प्रस्ताव निदेशालय को भिजवायें यदि कोई भी प्रकरण बिना जांच / परीक्षण के भिजवाया जावेगा तो विलम्ब के लिये संबधित अधिकारी / कर्मचारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावेगी।

–Sd–
(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।

क्रमांक / नर्सिंग / सामान्य / 2019 / 53 दिनांकः– 22/2/19

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 समस्त प्रधानाचार्य, एवं नियंत्रक, चिकित्सा महाविधालय राजस्थान।
2. समस्त संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें जोन–राजस्थान।
3 समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी राजस्थान।
4 समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी राजस्थान।
5 प्रभारी सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त परिपत्र को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करावें।
6 आदेश पत्रावली।

(राकेश शर्मा)
अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाये
राजस्थान जयपुर।